

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2001 में सौंपे जाने के उपरान्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखे के समुचित अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा पर तकनीकी दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निर्बंधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के लेखापरीक्षण के फलस्वरूप, वर्ष 2009-10 में पायी गयी मुख्य आपत्तियों का एकीकरण है।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज संस्थाओं की कार्य शैली का विहंगावलोकन तथा प्रशासकीय विभागों का ध्यानाकर्षण एवं आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही एवं सुधार करना है।

वर्ष 2009-10 की अवधि में 3,487 पंचायती राज संस्थाओं की लेखाओं की नमूना जांच में संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है।